

कार्यालय-आदेश

दिनांक 16.01.2019 को आयोजित बियाडा निदेशक पक्ष की 57वीं बैठक के कार्यावली संख्या-09 में लिए गए निर्णय के आलोक में औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण/विकास केन्द्र की इकाईयों का भौतिक निरीक्षण संबंधित क्षेत्रीय प्रभारी द्वारा एक वर्ष में दो बार Randomly करने तथा शिकायत प्राप्त होने पर किसी भी समय इकाई का निरीक्षण करने हेतु सक्षम होगा। अन्य स्थिति में स्वयं से एक स्तर उपर से अनुमति लेकर भौतिक निरीक्षण कर सकेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक:- 603/D...../114/2018/BADA/10

दिनांक- 31/01/19...

प्रतिलिपि:- कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना/दरभंगा/मुजफ्फरपुर/भागलपुर/तकनीकी परामर्शी/मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी/विधि पदाधिकारी/वरीय लेखा पदाधिकारी/आई0 टी0 शाखा/मीडिया कार्यपालक/प्रभारी, प्रबंध निदेशक कोषांग, बियाडा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक।